प्रति,

श्रीमान पुलीस महानिदेशक महोदय जी, (शिकायत)
भोपाल म.प्र.।

विषय :— थाना प्रभारी मोहित दुबे, कॉस्टेबल तरूण पटेल व पूनम तिवारी थाना रानीपुर जिला बैतूल द्वारा झूठा प्रकरण दर्ज करने की धमकी देकर राशि वसूल करने बाबत्।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं फूलवती बाई आहके बेवा रामेश्वर आहके उम 43 वर्ष जाति गोंड पेशा मजदूरी निवासी ग्राम जुवाड़ी थाना रानीपुर, जिला बैतूल की निवासी हूँ। यह कि मेरे ग्राम जुवाड़ी के किसी व्यक्ति के कहने पर रानीपुर थाना के कॉस्टेबल तरूण पटेल व पूनम तिवारी द्वारा मेरे दोनों पुत्र आशीष व हिमांशू पिता रामेश्वर आहके को झूठे चोरी के केस में दिनांक 19.04.2023 को थाने लेकर गये और जब मेरे दोनों पुत्र आशीष व हिमांशू आहके के उपर चोरी का अपराध सिद्ध नहीं हुआ तो कॉस्टेबल पूनम तिवारी ने खुद की कार में बैठालकर मेहकार पेट्रोल पंप के सामने जीवन वर्मा के घर के पास लाया गया और वहां पहले से रखी चार केन कच्ची दारू मेरे दोनों पुत्रो के हाथ में पकड़ा दी और दुसरी गाड़ी में बैठा कर फिर से थाने में ले आये और उनके उपर दारू का झूठा केस बनाकर जेल भेज दिया गया। जिसके बाद मैं बेवा लाचार व बेबश आदिवासी गरीब महिला ने दुसरे के घर बन्नी—मजदूरी का काम करके एक—एक रूपये बड़ी मेहनत के साथ जोड़कर मेरे दोनों पुत्रों की लगभग तीन माह के बाद दिनांक 11.07.2023 को जमानत करवाई। मेरे दोनों पुत्रों की जमानत होने के ठीक 5 दिन बाद दिनांक 15.07.2023 को हम तीनों मॉ बेटे खेत से काम करके लगभग 4:30 बजे घर आये तब थाना प्रभारी मोहित दुबे, अपने थाने के कॉस्टेबल तरूण पटेल व पूनम तिवारी के साथ मेरे घर पर आया और मेरे दोनों पुत्र आशीष व हिमांशू के नाम से आवाज लगाई उनकी आवाज सुनकर मेरे दोनों पुत्र बाहर थाना प्रभारी मोहित दुबे के पास आये तो थाना प्रभारी मोहित दुबे ने मेरे पुत्रों से पूछा की तुम दोनों जेल से बाहर कब आये। थाना प्रभारी मोहित दुबे के ऐसा पूछने पर मेरे पुत्र आशीष ने कहॉ की सर हम 11.07.2023 को आये हैं। तो थाना प्रभारी मोहित दुबे ने कहा कि तुम जेल से आने के बाद थाना क्यों नहीं आये साईन करने के लिये तो मेरे पुत्र आशीष ने कहा की सर हमें पता नहीं था इसलिये नहीं आयें। तों थाना प्रभारी मोहित दुबे ने कहा कि तुम दोनों चलों गाड़ी में बैठो थाने में साईन कर के आना कहकर मेरे दोनों पुत्रो को थाना प्रभारी मोहित दुबे और कॉस्टेबल तरूण पटेल व पूनम तिवारी अपने साथ जीप में बैठाकर थाने ले गयें और थाने के पूछताछ रूम में लेजाकर बैठाल दिया। मेरे पुत्रों के थाना जाने के बाद मालूम हुआ कि वहां पर एक दिन पहले से ही मेरी ननन्द का पुत्र सचिन पिता संतोष मर्सकोले को थाना प्रभारी मोहित दुबे ने किसी साधारण विवाद में थाने के लॉकप में बंद करके रखा था। इसके बाद कॉस्टेबल तरूण पटेल व पूनम तिवारी ने सचिन पिता संतोष मर्सकोले को पुलिस लॉकप से निकालकर पूछताछ रूम में लाया गया और मेरे दोनों पुत्रों के सामने खड़ा करके उससे कॉस्टेबल तरूण पटेल व पूनम तिवारी ने पूछा कि बता इन दोनों में से 13.07.2023 के झगड़े में कौंन था तो सचिन ने मेरे पुत्र आशीष का नाम लेते हुये कहा कि साहब आशीष

फूलवती

मो०नं० - 7000430594

वहां पर था लेकिन वो झगड़े से दुर खड़ा था। सचिन के ऐसा कहने के बाद मेरे पुत्र हिमांशू को छोड़ दिया और आशीष को कॉस्टेबल तरूण पटेल व पूनम तिवारी ने पुलिस लॉकप में लेजाकर 15.07.2023 को बंद कर दिया और मेरे पुत्र आशीस के उपर कॉस्टेबल तरूण पटेल व पूनम तिवारी ने डरा–धमकाकर दबाव बनाया कि 13.07.2023 का झगड़ा कबूल करले नहीं तों लूटपाट का केस बनाकर जेल भेज देंगे ऐसा कहकर पुलिस लॉकप बंद करके कॉस्टेबल तरूण पटेल व पूनम तिवारी दोनों चले गये और मेरा पुत्र आशीष एवं सचिन दोनों को भुखे पेट रातभर पुलिस लॉकप बंद में रखा उन्हें खानें के लिये कुछ भी नहीं दिया गया। दुसरे दिन 16.07.2023 को लगभग साम 7:00 बजे कॉस्टेबल तरूण पटेल व पूनम तिवारी दोनों फिर लॉकप में आये और कहने लगे कि दोनो 25–25 हजार का लेनदेन करलो तों तुम्हारे उपर छोटी धारा का केस बनाकर छोड़ देंगे। इसके बाद थाना प्रभारी मोहित दुबे आया और उसने भी कहा कि कल सुबह 10 बजे तक पैसे मंगवा लोंगे तो छोड़ देंगे नही तो 12 बजें के बाद तुम्हारे उपर लूट का केस बनाकर जेल भेज देंगे और दुबारा तुम्हारी जमानत भी नहीं होगी। तब मेरा पुत्र आशीष एवं सचिन ने कहा कि हमारे घर वाले को आने दो उनसे बात करके आप को बताते है। जब रात्रि 8 बजे के लगभग मेरा बड़ा पुत्र आकाश आहके और सचिन की पत्नि बबीता मर्सकोले थाने में उनका खाना लेकर गये तो आशीष और सचिन ने आकाश आहके व बबीता मर्सकोले को बताया कि थानेदार साहब और तरूण पटेल व पूनम तिवारी मेडम दोनों को छोड़ने के 25–25 हजार रूपये कुल 50000/– पचास हजार रूपये मांग रहें है नहीं तो कल हम दोनो को लूटपाट के केस में जेल भेज देगे कह रहें है। यह सुनकर मेरा पुत्र आकाश घर आया और मुझे सारी बात बताई। जिसके बाद मैने गॉव में व मेरे रिस्तेदार से पैसे उधार मांगने पर मुझे नहीं मिले तों मै अगले दिन सुबह 10 बजे दिनांक 17.07.2023 को थाने गई और मेरे पुत्र आशीष और मेरा भांजा सचिन दोनों से मिली और उनसे मिलकर कहा कि बेटा घर पर तो एक भी रूपये नहीं है और इतने सारे रूपये कहां से लायेंगे तब मेरा भांजा सचिन ने कहा कि बुआ मेरी मोटर सायकल बेच दो और कैसे भी करके 50 हजार लेकर आ जाना नहीं तों ये लोंग हमकों फिर से फसा देंगे। यह सुनकर मैं घर आ गयी। मेरे घर आने के बाद कॉस्टेबल तरूण पटेल व पूनम तिवारी दोनो मेरे पुत्र के पास गये और पूछने लगे कि पैसे का क्या हुआ तो मेरे पुत्र ने कहा की मेरी मॉ और मेरे भाई को घर भेजा है वो आज ही मोटर सायकल बेचकर आपको 2 बजे तक पैसे लाकर दे देंगे। इसके बाद मैने मेरे भांजे की पल्सर मोटर सायकल को शांतिपुर की एक किराना दुकान में 35000.00 रूपये में गिरवी रखकर 1:30 बजे थाने पहुॅची और मेरे पुत्र और भांजे सचिन से कहा कि बेटा पैसे का इंतजाम हो गया है तो मेरे पुत्र आशीष और सचिन ने कहा कि पूनम मेडम या तरूण पटेल साहब उधर होंगे तो उनके पास दे दों तो मैं कॉस्टेबल तरूण पटेल व पूनम तिवारी दोनो ही साथ में थे तो मैने पूनम तिवारी मेडम के हाथ में 35000/– पैंतीस हजार रूपये दे दिये। कॉस्टेबल तरूण पटेल व पूनम तिवारी को पैसे मिल जाने के बाद ये दोनों मेरे पुत्र आशीष और सचिन के पास गये और कहने लगे कि पैसे मिल गये है, लेकिन पैसे का किसी को बाहर जाकर मत बताना तुम्हारा केस हम 151 की धारा लगाकर तहसील भेज रहे है वहां पर तुमसे पूॅछेगें तो बताना कि दारू पीकर घूम रहें थे तो

फूलवती

CamScanner

Scanned with CamScanner

किसी ने हमारी शिकायत कर दी थी और पुलिस ने पकड़कर हमको थाने ला लिया था। ऐसा कहकर मेरे पुत्र आशीष और भांजा सचिन को तहसील पेश किया गया और उसके बाद दोनों को छोड़ा गया।

थाना प्रभारी मोहित दुबे, कॉस्टेबल तरूण पटेल व पूनम तिवारी थाना रानीपुर के द्वारा बिना किसी अपराध व एफ.आर.आई. के मेरे पुत्र आशीष और भांजा सचिन को दिनांक 14.07.2023 से 17.07.2023 तक 4 दिन पुलिस लॉकप में रखा गया और उन्हे पुलिस द्वारा एक भी दिन खाना नहीं दिया गया। इसके बाद थाना प्रभारी मोहित दुबे, और कॉस्टेबल तरूण पटेल व पूनम तिवारी के द्वारा लुटपाट के झूठे केस में फसाने की धमकी देकर 35000/– पैंतीस हजार रूपये की अवैध राशि वसूली की गई है और बाकी बचे हुये 15 हजार के लिये कॉस्टेबल पूनम तिवारी मुझे बार–बार फोन करके पैसे के लिये परेसान कर रही है। मैं रानीपुर पुलिस वालों से बहुत परेसान हो चुकी हूँ।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि मै एक विधवा गरीब आदिवासी महिला हूँ दुसरे के घर मजदूरी का काम कर के मेरे व मेरे बच्चों का भरण पोसन करके गुजारा करती हूँ। तथा मेरे पुत्र आशीष और भांजा सचिन को पुलिस से छुड़वाने के लिये मेरे भांजा सचिन की मोटर सायकल गिरवी रखकर 35000 पैंतीस हजार रूपये के कर्ज में डूब चूकी हूँ और बाकी बचे हुये 15 हजार के लिये और परेसान कर रहे। इसलिये थाना प्रभारी मोहित दुबे, कॉस्टेबल तरूण पटेल व पूनम तिवारी थाना रानीपुर के उपर कार्यवाही करते हुये राशि वापस दिलाने की कृपा करें एवं मेरे पुत्रो के उपर दर्ज झूठे केस को खतम करने की कृपा करें।

फूलवती

दिनांक :– 31.07.2023

आवेदिका
फूलवती बे. रामेश्वर आहके
ग्राम जुवाड़ी तह.घोड़ाडोंगरी
थाना रानीपुर जिला बैतूल म.प्र.

CamScanner

Scanned with CamScanner

CamScanner

Scanned with CamScanner